

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/1426

दिनांक : 09-11-2017

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की महत्वाकांक्षी बजट घोषणा में सीकर जिला मुख्यालय में नवीन मेडिकल कॉलेज का संचालन वर्ष 2018-19 से किया जाना प्रस्तावित है। इन कॉलेजों के संचालन हेतु नर्सिंग एवं पैरामेडिकल तथा अन्य प्रशासनिक स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है, जिस हेतु शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्रांक F15(1)/DME/RAJ.MES/2017/6587 दिनांक 09/10 अक्टूबर, 2017 द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय को नवीन मेडिकल कॉलेज में प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

चूंकि जिला सीकर में संचालित चिकित्सा संस्थानों में नर्स श्रेणी द्वितीय सृजित पदों से अधिक कार्यरत होने से अधिशेष हैं।

अतः जिला सीकर में कार्यरत निम्नलिखित अधिशेष नर्स श्रेणी द्वितीय को राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी के अधीन संचालित नवीन मेडिकल कॉलेज, सीकर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिशेष कार्मिक का नाम	संस्थान जहां अधिशेष हैं
1	लोकेश कुमार शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाचरियावास, सीकर
2	अशोक कुमार रैगर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपगढ, सीकर
3	धर्मवीर सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानूडा, सीकर
4	बजरंगलाल मीणा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जीणमाता, सीकर
5	साबिर अली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेसवा, सीकर
6	सुमन देवी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दांतरू, सीकर
7	सुशीला देवी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताजसर, सीकर
8	रामकुमार सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिसनाउ, सीकर
9	सरोज	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गारिण्डा, सीकर
10	बबीता	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाटडानाउ, सीकर
11	मीना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोलसाहबसर, सीकर
12	पूनम मोरदिया	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोंद, सीकर
13	त्रिलोक चन्द मौर्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढसेठान, सीकर
14	सुमित्रा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलूणा, सीकर
15	माया देवी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनेडी, सीकर
16	मनोज कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटोदा, सीकर
17	हरिओम शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतगढ, सीकर
18	लीला शर्मा	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, सीकर
19	संतरा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर

क.सं.	अधिशेष कार्मिक का नाम	संस्थान जहां अधिशेष हैं
21	अब्दुल हक खत्री	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर

उक्त कार्मिक अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से मेडिकल कॉलेज, सीकर से संबद्ध अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, सीकर में तुरन्त प्रभाव से प्रस्तुत करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/1426

दिनांक : 09-11-2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके अर्द्ध शासकीय पत्रांक F15(1)/DME/RAJ.MES/2017/6587 दिनांक 09/10 अक्टूबर, 2017 के क्रम में।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जयपुर।
6. प्रधान कार्य, मेडिकल कॉलेज, सीकर।
7. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, सीकर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
10. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर